

**राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के निमित्त आवेदन-पत्र**

फार्म सं० इग्नोपस-1

जिला-गढ़वा अनुमण्डल - प्रखण्ड.....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....

2. पिता/पति का नाम.....

3. पूरा पता- ग्राम/मुहल्ला..... पंचायत..... डाकघर.....

प्रखण्ड..... अनुमण्डल -..... जिला - गढ़वा

4. आयु (आवेदन-पत्र देने के समय).....

5. बी०पी०एल० न०/वर्ष..... जाति.....

6. आवेदक/आवेदिका का पहचान चिन्ह.....

7. कोटि- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/पिछड़ी जाति/विकलांग/सामान्य-

8. मैं घोषणा करता/करती हूँ -

(1) मुझे राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य सरकारी लाभकारी योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है ।

(2) मैं पूर्व में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु पूर्व में आवेदन-पत्र दिया हूँ/नहीं दिया हूँ ।

(3) मैं मूलतः झारखण्ड राज्य का निवासी हूँ तथा मैं यहाँ तीन वर्षों से अधिक समय से रह रहा हूँ/रह रही हूँ तथा मैं बी०पी०एल० के अन्तर्गत आता हूँ।

(4) इस आवेदन-पत्र में दी गई सूचनाएँ सत्य और मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है ।

तिथि:-.....

स्थान:-.....

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रपत्र फार्म - इग्नोपस-2

कंडिका (1 से 4 तक जाँच दल द्वारा भरा जायेगा)

स्थानीय शहरी निकाय/ग्राम पंचायत वृद्धावस्था पेंशन के निमित्त आवेदन-पत्रों की सूची

2. ग्राम पंचायत से आवेदन-पत्र प्राप्ति की तिथि.....

1 क्रम संख्या

2. आवेदक/आवेदिका का नाम :-.....

3. पिता/पति का नाम :-.....

4. पता:- ग्राम/मुहल्ला..... ग्राम पंचायत..... डाकघर.....

प्रखण्ड..... अनुमण्डल -..... जिला - गढ़वा

5. पेंशन स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने वाले पदाधिकारी का अनुशंसा :-

6. आवेदन -पत्र भेजने की तिथि:-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

आवेदन -पत्र स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का आदेश

लेखा संख्या एवं वर्ष.....

स्वीकृत/अस्वीकृत

अनुमंडल पदाधिकारी